



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/56/2018/एफ.सी./202

दिनांक: 20.06.2018

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/26409/7

विषय: मुजफ्फरनगर में उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन लि० द्वारा 132 के०वी० मुजफ्फरनगर जानसठ लीलो भेपा (भोकरेहड़ी) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 4019/ मुजफ्फरनगर /26409/2017
दिनांक- 11.05.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आया ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्तावित वन क्षेत्र ईको सेन्सिटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतः इस बावत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की संस्तुति/सहमति प्रस्तुत करें।
2. SOI Toposheet की मूल प्रति प्रस्तुत करें।
3. FRA Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एवं Pre Agricultural communities के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर उ० प्र०।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कार्पो० लि० मुजफ्फरनगर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}